न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः–28.11.23

1.अपील संख्याः 64/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/84)

1. कुदरता पत्नी सुल्तान जाति ढांढी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. चिराक
3. श्योपत
4. बशीरखॉ
5. एमना
6. राजा
7. गुड्डी
8. मैना
9. खातून

समस्त पिसरान स्व. सुल्तान जाति ढांढी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. ज्यानादेवी पत्नी चूनदास जाति स्वामी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. कमला पुत्री चूनदास
3. भरदास
4. विद्या
5. हड़मानदास

पिसरान स्व. चूनदास जाति स्वामी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

6. बाबूलाल पुत्र नानूदेवी पुत्री चूनदास निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
7. मोनिका पुत्री नानूदेवी पुत्री चूनदास निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
8. रमेश पुत्र नानूदेवी पुत्री चूनदास निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2.अपील संख्याः 81/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/72)

1. कुदरता पत्नी सुल्तान जाति ढांढी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. चिराक
3. श्योपत
4. बशीरखॉ
5. एमना
6. राजा
7. गुड्डी
8. मैना
9. खातून

समस्त पिसरान स्व. सुल्तान जाति ढांढी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 16–01–2023
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः–
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नायब सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 16–01–2023 जिसके द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनो अपीलों में सुनवाई हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता सुल्तान वल्द सुगनाराम जाति ढ़ाढी निवासी कपूरीसर तहसील लूणकरनसर को ग्राम कपूरीसर के खसरा नम्बर 154/1 व खसरा नम्बर 154/2 में कुल तादादी 41 बीघा भूमि दिनांक 30–08–1973 को बतौर टीसी आवंटित की गई थी तथा तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट्स के पति/पिता व वर्तमान में अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का उपनिवेशन नियमों के तहत निरन्तर नवीनीकरण भी किया जाता रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम कपूरीसर के खेत खसरा नम्बर 154/1 व खसरा नम्बर 154/2 के दौराने चकबन्दी चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 184/47, 184/55, 184/48, 184/38 बने। इसमें से मुरब्बा नम्बर 184/47 के किला नम्बर 5 ता 23 व मुरब्बा नम्बर 184/48 के किला नम्बर 1 ता 3, 19, 21 व 22 तादादी 33 बीघा भूमि का नवीनीकरण संवत् 2035 तक निरन्तर किया जाता रहा। तदुपरान्त न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, लूणकरनसर द्वारा दिनांक 04–06–1976 को 14 बीघा कमाण्ड तथा 12 बीघा अनकमाण्ड भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन अपीलांट्स के पति/पिता के नाम कर दिया गया तथा इसी आदेश में 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये।

उन्होनें आगे कथन किया कि उक्त 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि जोकि चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 184/55 के किला नम्बर 1, 9

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ता 12, 19 व 20 बने है, पर अपीलांट्स के पति/पिता का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के आवंटन के अपीलांट्स प्रथम अधिकारी होने से अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 30–04–2002 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट्स की निगरानी दिनांक 05–01–2012 को स्वीकार करते हुए प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान करते हुए पात्रता का निर्धारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये बिना ही अन्य व्यक्ति की पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी स्वयं के द्वारा ही अपीलांट्स के पति/पिता को अपात्र घोषित करते हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि ऐसा करने का उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के पिता चूनदास को पात्र घोषित किया गया तथा अपीलांट्स के पति/पिता सुल्तान को अपात्र घोषित किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को दोनों ही मृत हो चुके थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्व आदेश पारित करते हुए पात्र घोषित/अपात्र घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों व माननीय राजस्व मण्डल के आदेशों के विपरीत होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। अतः अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश के दिन उक्त भूमि से अपीलांट्स का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। अपीलांट्स को उसके धारण क पात्रता अनुसार आवंटित भूमि पर ही कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के नियमितीकरण अथवा आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र घोषित करते हुए 35 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पति/पिता को शेष 15 बीघा भूमि पाने का पात्र मानते हुए समीपस्थ भूमि 9 बीघा 02 बिस्वा आज दिनांक तक मौके पर रिक्त होने व राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर ही चक 2 एमकेएम के मुरब्बा नम्बर 184/55 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 में कुल 9 बीघा 02 बिस्वा 6 बीघा कमण्ड व 3 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र घोषित करते हुए अपीलांट्स के पति/पिता सुल्तान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट्स का यह कथन कि मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–03–2017 को ही चूनदास के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि का पात्र घोषित करते हुए आवंटन हेतु प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये है। माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को प्रदत्त स्थगन आदेश एवं अपीलें खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं समय–समय पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् पारित आदेशों के अवलोकन से इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि उभय पक्षों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु लम्बी अवधि से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजोई की जाती रही है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम रूप से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 05–01–2012 को निर्णय पारित करते हुए स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि "इस प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रेषित करें और आवंटन सलाहकार समिति उभय पक्ष के आवंटन की पात्रता की जॉच कर विधि अनुसार निर्णय पारित करेगी।"

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 05–01–2012 को निर्णय पारित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जा चुका था कि उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति आवंटन की पात्रता की जॉच करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करेगी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये बिना ही अपीलांट्स के पति/पिता सुल्तान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को आवंटन का पात्र घोषित किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय स्वमेव उभय पक्षों की पात्रता के निर्धारण करने का अधिकार हासिल नहीं था। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये बिना ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा उच्चतर न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ही कार्यवाही सम्पादित की जावे। उनके द्वारा ऐसा नहीं करने मात्र से ग्रामीण काश्तकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के अनुसरण में कार्यवाही नहीं की गई है।

8. अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–01–2023 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को निर्देशित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया जाता है कि वह माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 05–01–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर